उत्तर प्रदेश शासन

(35)

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

संख्या बी-3-1537/दस-83-2 (41)-77-ब्याज

लखनऊ, दिनांक 23 अप्रैल, 1983

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य कर्मचारियों को देय अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों से सम्बन्धित कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-3-1326/दस-82-2 (41)-77-मो0 स0, दिनांक 4 मई, 1982 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि मोटरकार/मोटर सायकिल/स्कूटर तथा बाइसायकिल क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 1982-83 में स्वीकृत अग्रिमों पर ब्याज की दरें अंतिम रूप से निम्न प्रकार होंगी:--

मोटर कार अग्रिम	..	12 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष
मोटर सायकिल/स्कूटर बाइसायकिल	..	12 प्रतिशत प्रतिवर्ष

किन्तु नियत समय पर ऋण/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3-1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष छूट दी जायगी।

2--भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 1982-83 में स्वीकृत अग्रिमों पर अन्तिम रूप से देय ब्याज की दरों के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

उमेश प्रसाद श्रीवास्तव
बजट अधिकारी।

सचिवालय के समस्त अनुभाग

संख्या बी-3-1537 (1)/दस-83-2 (41)-77-ब्याज तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3--विधान सभा सचिवालय।
4--विधान परिषद सचिवालय।
5--राज्यपाल सचिवालय।
6--निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

उमेश प्रसाद श्रीवास्तव
बजट अधिकारी।